

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 19.01.2026

क्रमांक रीडर/2026/ 137

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 धर्माराम पुत्र केसाराम जाति मेघवाल निवासी उदयनगर बाड़मेर मगरा तहसील व जिला बाड़मेर।

1 हेमाराम पुत्र जगनाराम जाति मेघवाल निवासी जुनी आटी 2 मीरो पत्नि बीजाराम जाति सांसी 3 कमलकिशोर 4 मनमोहन 6 सन्तोष 6 पार्वती पिसरान सत्यदेव जाति वाल्मिकी निवासी उदयनगर 7 आसुराम पुत्र खेराजराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालो की ढाणी मीठडा 8 केशर पत्नि विक्रम पन्नु 9 खुशालराम पुत्र तगाराम 10 तीडीदेवी पत्नि खुशालाराम जाति मेघवाल, निवासी राजीवपुरा विशाला आगोर 11 खीमा पुत्र पुनमा जाति सांसी, निवासी उदयनगर 12 घेवरचंद परिहार पुत्र दलाराम 13 चम्पालाल परिहार पुत्र चूनाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालो की ढाणी कगाऊ तहसील बाड़मेर 14 चेनाराम पुत्र खेराजराम जाति मेघवाल, निवासी विजयनगर छोटू तहसील गुडामालानी 15 सिमरथाराम पुत्र दमाराम जाति मेघवाल, निवासी कगाउ 16 हीरसिंह पुत्र अगरसिंह जाति पुरोहित निवासी बान्दरा 17 सरपंच ग्राम पंचायत बाड़मेर मगरा 18 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-629/2025 दिनांक- 12/01/2026

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा उदयनगर पटवार क्षेत्र बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 2299/119 रकबा 1.6754 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

दिनांक- 19.01.2026

क्रमांक :- रीडर/2026/ 138 -141

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी धर्माराम पुत्र केसाराम जाति मेघवाल निवासी उदयनगर बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण हेमाराम पुत्र जगनाराम जाति मेघवाल निवासी जुनी आटी तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर